

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 708]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 — पौष 10, शक 1942

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-18/2009/35. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ डेयरी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की प्रस्तावना में,-

शब्द, चिन्ह तथा कोष्ठक “छत्तीसगढ़ डेयरी (राजपत्रित) सेवा” के स्थान पर, शब्द, चिन्ह तथा कोष्ठक “छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग डेयरी (राजपत्रित) सेवा” प्रतिस्थापित किया जाये.

उक्त नियमों में,-

1. नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग डेयरी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे.”

2. नियम 2 के खण्ड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(ट) “सेवा” से अभिप्रेत हैं छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग डेयरी (राजपत्रित) सेवा,”

3. नियम 8 के उप-नियम (एक) के खण्ड (च) का लोप किया जाये.

4. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2	सहायक दुग्ध आयुक्त	15	75%	25%	-"

5. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) में, शब्द "पशुपालन एवं डेयरी विभाग" के स्थान पर, शब्द "पशुधन विकास विभाग" प्रतिस्थापित किया जाये.

6. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	सहायक दुग्ध आयुक्त	उप दुग्ध आयुक्त	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - अध्यक्ष (2) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव - सदस्य (3) संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें - सदस्य - सचिव."

File No. F 1-18/2009/35. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Dairy (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In preamble of the said rules,-

For the words and bracket "Chhattisgarh Dairy (Gazetted) Service", the words and bracket "Chhattisgarh Livestock Development Department Dairy (Gazetted) Service" shall be substituted.

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) of rule 1, the following shall be substituted, namely :-

"(1) These rules may be called the Chhattisgarh Livestock Development Department Dairy (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013."

2. For clause (k) of rule 2, the following shall be substituted, namely :-

"(k) "Services" means the Chhattisgarh Livestock Development Department Dairy (Gazetted) Service,"

3. In clause (f) of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.

4. For serial number 2 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2	Assistant Milk Commissioner	15	75%	25%	-"

5. In column (2) of serial number 1 of Schedule-III, for the words "Animal Husbandary and Dairy Department", the words "Livestock Development Department" shall be substituted.
6. For serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Assistant Milk Commissioner	Deputy Milk Commissioner	05 Years	(1) Chairman of Public Service Commission or the member nominated by him. -Chairman. (2) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary -Member (3) Director, Veterinary Services -Member-Secretary."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.